**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या: 5305**
**गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

**विमान यातायात नियंत्रकों की नियुक्ति**

**5305. श्री असादुद्दीन ओवैसी:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को विमान यातायात नियंत्रकों (एटीसीओ) के लिए भर्ती प्रक्रिया विशेषकर बी. एससी स्नातकों की तुलना में बी.टेक स्नातकों के पक्ष में पात्रता मानदंड संबंधी चिंताओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) किसी भी विषय के बी.टेक स्नातकों को आवेदन करने की अनुमति देने का क्या औचित्य है चाहे उन्होंने भौतिकी अथवा गणित का अध्ययन मात्र एक सेमेस्टर में किया हो जबकि बी.एससी स्नातकों ने इन विषयों में तीन वर्षीय पूर्ण डिग्री प्राप्त की हो;
(ग) क्या एटीसीओ की प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि को 8 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने हवाई यातायात प्रबंधन और विमानन सुरक्षा पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने एटीसीओ के कथित रूप से भुगतान कोचिंग क्रियाकलापों में संलग्न होने से संबंधित सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) और (ख)**:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में विमान यातायात नियंत्रकों (एटीसीओ) की भर्ती के लिए वर्तमान पात्रता मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता विनिर्दिष्ट है:

- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित के साथ विज्ञान में नियमित पूर्णकालिक स्नातक की डिग्री (तीन वर्ष), अथवा

- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक नियमित स्नातक डिग्री, बशर्ते कम से कम एक सेमेस्टर में भौतिकी और गणित विषय रहे हों।

पात्रता प्रयोजनों के लिए बीएससी स्नातकों को उन बीटेक स्नातकों के समतुल्य माना जाता है, जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम के किसी भी सेमेस्टर में भौतिकी और गणित का अध्ययन किया हो।

एटीसीओ का चयन एक परिभाषित पाठ्यक्रम के साथ एक अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होता है, जिसमें भौतिकी और गणित घटक 12वीं कक्षा के स्तर के होते हैं।

(ग) और (घ)**:** एटीसीओ के लिए प्रशिक्षण अवधि कम नहीं की गई है।

(ङ) : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के कर्मचारियों के आचरण को भा.वि.प्रा. कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम, 2003 द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसमें कदाचार के मामलों में की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई विनिर्दिष्ट है।

******